85

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड 1, लो0नि0वि0, कानपुर देहात

पत्रांक : 1081/17/लाईन की अनापत्ति		दिनांक : 04-7-15

सेवा में,

जनरल मैनेजर,
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लि0.
शालीमार टाईटेनियम, 601,602 छठवा तल,
विभुति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः **N.O.C for M.D.R. crosing by Overhead Power lines.**

संदर्भः आपका पत्रांक SEUPPTCL/SH-MDR/2014-15/1312 दिनांक 23.02.2015

महोदय,

संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार माती–रूरा (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 9 (नरिहा कमालपुर मार्ग के पास) व 11 (मुक्तापुर के पास) में एक–एक ट्रान्समिसन लाईन की अनापत्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि पावर ग्रिड के नियमों/मानकों को ध्यान में रखते हुए ट्रान्समिसन लाईनों को मार्गो से क्रास किया जाये जिससे मार्गो पर कोई अवरोध की स्थिति उत्पन्न न हो एवं सम्भावित दुर्घटना से बचाव हो सके तथा भविष्य में मार्ग के चौडीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने पर यदि आवश्यकता पडती है तो ट्रान्समिसन लाईन की ऊचांई एवं चौडाई को आपके स्तर से किया जाना होगा, जिस पर होने वाला व्यय भार आपके विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

4/7/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
कानपुर देहात

पत्रांक :		**दिनांक :**

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता (द्वितीय/तृतीय), निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री पी0एस0 यादव/श्री एम0डी0 सिंह, अवर, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कानपुर देहात को सूचनार्थ कार्यस्थल पर उपरोक्तानुसार निरीक्षण हेतु।
3. अवर अभियंता (प्रा0), निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, कानपुर देहात को को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी कानपुर देहात को सूचनार्थ।

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0
कानपुर देहात

K:\NOC FOR ODR MATI RURA POEWR LINES.doc

86

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड–2 (प्र0प0), लो0नि0वि0,
कानपुर देहात।

दिनांक– 2015

पत्रांक–

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

विषयः– NOC for SH/MDR Crossing by Overhead Mainpuri - Bara Power Lines (Package-1A&2A).

संदर्भः– SEUPPTCL/SH-MDR2015-16 DT. 16-06-15

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा एस0ई0 यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ ने रूरा–डेरापुर मार्ग के किमी0–09 एवं 11 से गुजर रही ट्रान्समिशन लाइन डाले जाने की अनुमति का प्रकरण, इस कार्यालय को संदर्भित किया है।

एस0ई0 यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को निम्न शर्तों के साथ ट्रान्समिशन लाइन इरेक्ट करने हेतु, अनुमति दिये जाने की संस्तुति दी जाती है।

1. ट्रान्समिशन लाइन इरेक्शन के समय में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाये, ताकि किसी वाहन या पैदल यात्री को कोई खतरा न हों।
2. निर्माण कार्य के दौरान, मार्ग पर चल रहे वाहनों को सुरक्षा एवं सुगम यातायात बहाल रहे।
3. ट्रान्समिशन लाइन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट एवं मानको के अनुरूप करते हुये कॉस किया जाये।
4. निर्माण के उपरान्त भी एस0ई0 यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी, ट्रान्समिशन लाइन का वांछित रख–रखाव तथा वाहनों एवं पैदल यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
5. ट्रान्समिशन लाइन निर्माण या अनुरक्षण के दौरान, किसी भी दुघर्टना इत्यादि होने पर यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड लखनऊ उत्तरदायी होगा।

(यतेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–2 (प्र0प0), लो0नि0वि0,
कानपुर देहात।

पत्रांक– 408/PMGSY/स्था0/15

दिनांक– ~~2015~~ 27/06/15

प्रतिलिपि –
1. जनरल मैनेजर, यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता द्वितीय को उनके द्वारा दी गई आख्या के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/15

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–2 (प्र0प0), लो0नि0वि0,
कानपुर देहात।

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात